गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे हनुमंतराव जी के केस पर भी विचार करें।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): That is a Naxalite area. Therefore, there is need to provide security there and the Government must do something

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे हनुमंतराव जी की भी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

उपसभापति : ठीक है, रेणुका जी की सुरक्षा का प्रश्न भी हल हो गया और हनुमंतराव जी की सुरक्षा का भी प्रश्न हल हो गया, दोनों का काम हो गया और अब सभी खुश हो गए। श्री आनन्द प्रकाश गौतम।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : मैडम, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन चल रहा है और सरकार की पूरी मंत्रि परिषद की ओर से अकेले अबरार अहमद साहब यहां बैठे हैं।

about it.

SHRI V. NARAYANASAMY: What about security for Mr. Hanumantha Rao?

THE DEPUTY CHAIRMAN : He will do it I will see that it is done for both.

श्री प्रमोद महाजन : मैडम, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनको निर्देश दें कि वह भी सदन से चले जाएं ताकि बाकी जो सदस्य हैं, वह आपस में चर्चा कर लें। यहां कम-से-कम एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर को आप अगर ज़ीरो-आवर में नहीं रखेंगे तो आप कितनी गंभीरता से उठाए जाने वाले

वित्त मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : मैडम, लोकसभा के अंदर वोटिंग थी, इसलिए जो माननीय मंत्री यहां थे वह वोटिंग . . . (व्यवधान) . . .

SHRI SIKANDER BAKHT: It is not enough that only during Zero Hour, a Cabinet Minister should be here. As long as the House sits, there has to be a Cabinet Minister here, and it is not the first time that we have raised this matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Abrar Ahmed. I am sorry. This is no explanation.

SHRI SIKANDER BAKHT: Don't take the House for granted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Saheb, please. This is no explanation and I am not going to accept it, because if there was voting in the Lok Sabha, there are many Ministers who belong to Rajya Sabha and they have no business to vote there. They should be here So, that is no explanation. If they are busy in some business in the other House, we accept it. If they are busy somewhere in some meeting, we accept it. But not for voting. So please find another excuse.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): When the voting is there, the Ministers have to be there because the Members tend to run away and the Ministers are required to bring them back.

RE-INORDINATE DELAY IN PROVIDI NG FINANCIAL ASSISTANCE TO SOME S/C, S/T FAMILIES

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri A P. Gautam.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक ऐसे मसले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे कि अनुसूचित-जाति व जनजाति के सैकड़ों परिवारों की जीविका का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

महोदया, अनुसूचित-जाति व जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लगभग एक साल से ज्यादा हो रहा है, छह सौ पचहत्तर लोगों को दिल्ली प्रशासन द्वारा एस०टी०ए० बस परमिट स्वीकृत किए गए थे, रेड-लाइन बसों के परमिट उन्हें दिए गए थे और सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 95 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 4 प्रतिशत के ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिससे कि वे बसों को खरीद सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

इस मद में भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम दिल्ली को कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए का आबण्टन किया गया था, परन्तु खेद है कि दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने केवल 9 करोड़ रुपये का ही ऋण बांटा और इसमें गंभीर मसला यह है कि 15.8 करोड़ मायने 16 करोड़ रुपया उस विकास निगम ने एक ऐसे जुए के मामले में लगा दिया, जिसके बारे में माननीय सदन में कई बार पूरी सरकार को कलंकित किया गया। वह पैसा केवल ब्याज कमाने के लिए, काफी धन कमाने के लिए उसमें लगा दिया गया क्योंकि उसमें 22 परसेंट ब्याज देने को कहा गया था।

महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से केवल वहां से 100 लोगों को ही ऋण उपलब्ध कराया जा सका और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने ऋण के लिए प्रार्थना पत्र दिये, थे,

आज भी ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसके लिए यह लोग साल भर से परेशान हैं । उनको हर तीन महीने के लिए परमिट सेंक्शन होता है, तीन महीने के बाद उनके परमिट खत्म होने की घण्टी बजा दी जाती है और फिर तीन महीने के बाद हाथ पैर जोड़ते हैं तो तीन महीने के लिए और परमिट मिल जाता है । अब 30 सितंबर उनके परमिट की आखरी तारीख है । अगर उस समय तक उनको ऋण उपलब्ध नहीं हुआ, वह बस नहीं खरीदते हैं तो वह सारे के सारे 150 परमिट समाप्त कर दिए जाएंगे और उन सभी परिवारों की स्थिति यह हो जाएगी कि उनकी जीविका के लाले पड़ने लगेंगे ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप उन डेढ़ सौ लोगों को, जिनको इस आश्वासन पर परमिट दिए गए थे, उनको आप ऋण दिलाएं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको आप ऋण दिलाने की स्थिति में है क्योंकि भारत सरकार ने जिनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए धन आवंटित किया था उन्होंने बजाय इसके कि अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता उसको ब्याज कमाने मे लगा दिया, शेयर घोटाले में लगा दिया । मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इस प्रकार से जो अनुसूचित जाति के ऋण के लिए धन आवंटित हो और उसको ब्याज कमाने के लिए या दूसरे शेयर घोटाले के लिए कोई लगा दे तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा सकेगी ? क्या आप उनको ऋण उपलब्ध करा सकेंगे ? अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों को रौंद कर जिस संस्था ने या जिस वित्त विकास निगम ने धन का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

महोदया, इसी के साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस संबका क्या असर पड़ा है । पिछले साल जिस मद में 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और वित्त विकास निगम की ओर से केवल 9 करोड़ रुपया ही उपयोग किया जा सका था, उसका नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष केवल उसको ऐसे मदों में 10 करोड़ रुपया ही आवंटित किया गया है क्योंकि उनका यह तर्क था कि आपने खर्च ही नहीं किया, आपको जरूरत ही नहीं है । तो इस प्रकार से हमारे हितों को कुचला जा रहा है । मैं समझता हूं कि या तो सरकार में कहीं इच्छा शक्ति की कमी है या सरकार के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं इस संस्था के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है ? आप इन लोगों को 30 सितंबर तक ऋण दिला पाएंगे या फिर इन लगभग ढाई सौ परिवारों को भूख के कगार पर धकेलने के लिए तैयार है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता है ।

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान (बिहार) : मैडम, मैं इससे संबद्ध करता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before we proceed further, I would like to inform hon. Members that Friday will be the last day of this Session, hopefully. Tomorrow, perhaps, we will have a calling-attention motion. So, there will be no Special Mentions. Keeping that in view, I have allowed a large number of Special Mentions today as the Members are worried about various issues. Keeping all these things in view, 1 request hon. Members that today we dispense with the lunch hour and we finish this so that we can have the discussion on the Appropriation Bills, if the House so agrees. So, there will be no lunch hour. Agreed. Shri Shastri.

RK. DEMAND FOX CONSENSUS ON THE PROBLEM OF BANGLADESHI INFILTRA TORS LIVING 11V INDIA

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का और इस माननीय सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट कर रहा हूं । बांगलादेशी घुसपैठियों की बात बार-बार इस सदन में उठी है, लेकिन अभी दिल्ली के एक विख्यात दैनिक "जागरण" ने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार प्रकाशित किए हैं और उनमें से एक साक्षात्कार दिल्ली के उपराज्यपाल श्री पी० के० दवे का है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली में बसे हुए बांगलादेशियों को बाहर न निकाल पाने का एक कारण अन्तर्राष्ट्रीय दबाव है । यह बहुत ही चिंताजनक बात है । अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण बंगलादेशियों की वापसी की कोई ठोस योजना दिल्ली में भारत सरकार नहीं बना सकती तो हमको यह जानने का अधिकार है कि वे कौन से देश हैं जो हम पर यह दबाव डाल रहे हैं । इसी तरह जो दूसरी बड़ी बात दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री कौशल ने स्वीकार की है कि — हां, यह ठीक है कि बांगलादेशी घुसपैठिए कानून-व्यवस्था के लिए समस्या बन गए हैं । लेकिन उन्होंने यह कहा है कि सरकार की कोई नीति स्पष्ट न होने के कारण हम उनके खिलाफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकते । उन्होंने यह भी कहा है कि जहांगीरपुरी में जब उन्होंने कदम उठाया और बांगलादेशी घुसपैठियों ने प्रतिवाद किया, तो उसके बाद बहुत सी मानव अधिकार संस्थाओं ने तथा बहुत से राजनीतिक दलों ने इसका प्रतिवाद किया । इसलिए यह कदम नहीं उठा सकते । उन्होंने यह भी बताया कि वह बंगलादेशी घुसपैठिए दिल्ली छोड़कर पास के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लोनी और नोएडा में चले गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी संस्थाएं हैं जो इस राष्ट्रीय प्रश्न पर भी बराबर आपत्ति करती हैं । तीसरे, खबर है कि घुसपैठियों पर सवा दो अरब रुपए यानी सवा दो सौ करोड़ रुपए प्रति माह भारत को खर्च करना पड़ता है । उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में कोई स्पष्ट नीति